

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प.23(2)चि. एवं स्वा.3/2003 पार्ट

दिनांक 02/12/06


अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1.07.2003 एवं 25.07.2003 के द्वारा राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये नियुक्त सदस्य समुचित प्राधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उक्त सदस्यों का पुनः निम्नानुसार मनोनयन करती है :-

1. डा0 रांका कमल, प्रोफेसर (वनस्पति शास्त्र विभाग), राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर।
2. श्री श्रीनिवास शर्मा, डीएलआर (एल), विधि विभाग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का रहेगा।


आज्ञा से


(शफी मोहम्मद कुरैशी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीया मुख्य मन्त्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक एनआरएचएम, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, विधि सचिव राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव कुलपति राजस्थान विश्व विद्यालय जयपुर।
8. संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. अनुभाग अधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प0क0 मन्त्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

11. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. निदेशक, पीएनडीटी, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, नई दिल्ली।
14. निदेशक (जन स्वा0)/(प0क0)/(एडस), मुख्यालय।
15. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
16. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
17. समस्त उप खण्ड अधिकारी, राजस्थान।
18. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
19. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,(प0क0)/(उपखण्ड) राजस्थान।
21. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
22. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
23. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव